# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

निगरानी सं0 10/2018

1. शिशपाल पुत्र हनुमान जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. ग्राम पंचायत मन्दरपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

4.भादर पुत्र जमालदीन जाति तेली साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थी

निगरानी बखिलाफ निर्णय दिनांक 14.05.2018 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर तहसील नोहर जिसकी रूह से अपील स0 18/2017 बअनवानी रामनिवास बनाम भादर आदि स्वीकार की जाकर प्रार्थी द्वारा खरीद शुद्धा पटटा दिनांक 07.09.1986 को निरस्त कर शुन्य घोषित किया को अपास्त करवाने बाबत।

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः– 28.02.2020

प्रार्थी ने अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है –

1. अप्रार्थीगण संख्या 1 की तरफ से एक अपील दिनांक 18/2017 बअनवानी रामनिवास बनाम भादर आदि इस आशय की प्रस्तुत हुई कि अपीलान्ट ग्राम मन्दरपुरा तहसील नोहर का निवासी है। तथा गांव मन्दरपुरा में एक बहुत पुरान 6138.5 वर्गगज क्षेत्र का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पटटा शुद्धा भूखण्ड है जिसका पटटा अपीलार्थी स0 1 के अप्रार्थी के दादा के पक्ष में दिनांक 04.11.1960 का जारी शुद्धा है उक्त पटटा शुद्धा भूखण्ड के उतर की ओर चिपते ही रामबगस पुत्र लाधुराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर का 440 वर्गगज क्षेत्र का भूखण्ड है जो अपीलार्थी का रामबगस से खरीद शुद्धा है। यह कि उक्त दोनों भूखण्डों पर मकान तामिर अपीलार्थी अपने परिवार सहित रहवास करता आ रहा है। दिनांक 22.05.2017 को रेस्पोडेन्ट स0 3 शिशपाल अप्रार्थी के पूर्वी हिस्सा की जगह पर दीवार तामिर करने लगा तो अप्रालार्थी ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने इस भूखण्ड को को रेस्पो0 स0 1 भादर द्वारा खरीद शुद्धा बताया और उसने पटटा की एक प्रति देते हुए कहा कि इस भूखण्ड का पटटा रेस्पो0 स0 1 भादरराम के नाम से जारीशुद्धा है। पटटा के अवलोकन से पता चला कि उक्त जगह का पटटा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 भादरराम के नाम से दिनांक 07.09.1986 को 46 गुणा 40 फुट क्षेत्र का पटटा ग्राम पंचायत मन्दरपुरा से जारी शुद्धा है। ग्राम पंचायत मन्दरपुरा से उक्त पटटा बाबत जानकारी चाही गई तो ग्राम पंचायत मन्दरपुरा ने उक्त पटटा से संबंधित कोई रिकार्ड नहीं होना बताया गया है। अप्रार्थी द्वारा रामबगस के पटटा शुद्धा भूखण्ड की खरीद शुद्धा जगह के पूर्व की ओर 9 गुणा 44 फुट क्षेत्र की जगह का सम्मलित करते बनाया गया है जो पटटा अवैध होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन पटटा पंचायती राज एवं न्याय पंचायत समान्य नियम 1961 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना व कोई विधिक प्रक्रिया अपनायें बिना पटटा जारी किया गया है जिससे ना तो कोई आपति नोटिस जारी किये गये है ना ही कोई निलामी अमल में लाई गई है तथा ना ही अपीलाधीन पटटा से संबधित ग्राम पंचायत मन्दरपुरा में रिकार्ड उपलब्ध है। अपीलाधीन पटटा विधि विरूद्ध जारी किया गया है जो एक शुन्य दस्तावेजात होने से खारीज योग्य है एवं अपीलार्थी अपने उक्त भूखण्ड का बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पूर्व से उपयोग व उपभोग शुद्धा एवं पूर्व मे जारी शुद्धा पटटो की जगह को सम्मलित करते हुए यह पटटा जारी किया गया है जो पटटा पर पटटा होने से खारिज योग्य है। जिसकी प्रति प्राप्त होने पर अपीलांट उक्त आशय की अपील पेश कर रहा है एवं उक्त आशय की अपील पेश होने पर अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मातहत अदालत में जवाब अपील वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 जाब्ता दीवानी की छाया प्रति पेश की एवं जवाब अपील में वर्णित तथ्यों को इन्कार करते हुए इस आशय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर
Web Copy Not Official

का पेश किया की प्रत्यार्थी स0 1 भादर गत 60 वर्षो से अपने भूखण्ड पर काबिज चला आ रहा है जिस पर पटटा जारी किया हुआ है। अपीलाधीन पटटा में किसी अन्य जगह को सम्मलित करते हुए नहीं बनाया गया है। जिस पर पटटा जारी होने से पूर्व उस जगह पर प्रत्यर्थी स0 1 के पक्ष में पटटा जारी होने से पूर्व उस जगह पर कच्चे कोठ तामिर किये हुए थे एवं ग्राम पंचायत मन्दरपुरा द्वारा विधिवत आपतिया आमन्त्रित करते हुए मौका निरीक्षण का विधि अनुसार प्रस्ताव लेकर बातचीत द्वारा तैय राशि जमा करवाते हुए पटटा जारी किया गया है। अपीलाधीन पटटा में किसी अन्य की भूमि शामिल नहीं है। प्रत्यार्थी स0 1 भादर के पक्ष में दिनांक 07.09.1986 को ग्राम पंचायत मन्दरपुरा द्वारा नियमानुसार पटटा जारी किया गया है जिस पटटे पर प्रत्यार्थी स0 1 द्वारा नवीनीकरण करवाया जाकर जरिये रजि. बैयनामा दिनांक 27.02.2017 का प्रत्यार्थी स0 3/प्रार्थी शिशपाल को विक्रय कर दिया गया तब से उक्त भूखण्ड का प्रत्यार्थी शिशपाल विधिवत काबिज है प्रत्यार्थी ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन पटटे का रिकार्ड है और रिकार्ड का अवलोकन व भौतिक सत्यापन के बाद पटटे का नवीनीकरण किया हुआ है और बाद नवीनीकरण रजिस्ट्री हुई है। प्रत्यार्थीगण ने कथन किया कि पटटा का ज्ञान अपीलार्थी का शुरू से ही रहा है। अपील मियाद बाहर है एवं अपीलार्थी द्वारा सिविल न्यायालय नोहर में पटटा से संबधित व प्रत्यार्थी सख्या 3 शिशपाल के पक्ष में निस्पादित बैयनाम दिनांक 27.02.2017 का निरस्त किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किय है एवं एक ही अनुतोष के लिए दो अलग–अलग जगह पर कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा संस्थित की गई है व इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा छुपाया गया है एवं अपील खारिज की जावें एवं अपीलाधीन पटटा बहाल रखा जावें तथा मातहत अदालत ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनायें तथा बिना सही आधार के विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी के पक्ष में खरीद शुद्धा पटटा दिनांक 07.09.1986 निरस्त कर शुन्य घोषित कर दिया जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है जिससे प्रार्थी निर्णय दिनांक 14.05.2018 को अपास्त करने हेतु तथा प्रार्थी के द्वारा खरीद शुद्धा पटटा दिनांक 07.09.1986 को बहाल करने हेतु यह निगरानी प्रार्थी निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है–

क– निर्णय दिनांक 14.05.2018 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूहदाद मिसल है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के खिलाफ है तथा निर्णय दिनांक 14.05.2018 काबिल खारिज के है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ख– मातहत अदालत ने इस तथ्यों की तरफ गौर नहीं किया कि अप्रत्यर्थी स0 3/ प्रार्थी द्वारा पटटा जरिये बैयनामा से खरीद शुद्धा है एवं प्रार्थी द्वारा पटटा खरीद करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मातहत अदालत में अपील पेश कर दी गई जबकि पटटा दिनांक 07.09.1986 को यानि 34 वर्षो पूर्व ग्राम पंचायत मन्दरपुरा द्वारा जारी किया गया था एवं प्रार्थी के साथ रंजिश रखने एवं राजनैतिक रूप से परेशान करने के लिए प्रार्थी का पटटा खारिज करवाया गया है जबकि 34 वर्षो पूर्व जारी पटटा खारिज किया जाना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है इसलिए मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

ग– मातहत अदालत ने जो मौका रिपोर्ट तैयार कि गई उसके बारे में कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है जबकि भूखण्ड का मौका केवल अप्रार्थी स0 1 की उपस्थिति में देखा गया है एव न ही विवादित स्थल का मौका रिपोर्ट सही रूप से बनाई गई केवल मात्र अप्रार्थी स0 1 को फायदा पहुचाने के लिए तैयार की गई एवं प्रार्थी को सुनवाई व सूचना का अवसर नही दिया गया तथा प्रार्थी का विधि अनुसार जारी पटटा सन 1986 निरस्त व शुन्य घोषित कर कानून के मान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल अपास्तनीय है।

घ– प्रार्थी द्वारा पटटा जरिये बैयनामा खरीद किया हुआ है तथा मातहत अदालत ने कानून के खिलाफ जाते हुए केवल राजनैतिक द्वेषता से वशीभूत होकर निर्णय पारित किया है।

ड– प्रार्थी द्वारा निर्मित अवासीय मकार सहित प्लाट साईज 44 गुणा 46 बराबर 2024 वर्गफुट खरीद शुद्धा है एवं जिस पर अप्रार्थी स0 4 लगभग 50 वर्षो से काबिज था एवं जिसका आसा पासा निम्न प्रकार से है कि उत्तर में रास्ता, दक्षिण में सोहन व पूर्व में महावीर वैध, पश्चिम में सोहन व सार्वजनिक भूमि है तथा अपीलाधीन पटटा कीमतन विक्रय विलेख का जारी शुद्धा पटटा है तथा भयंकर लम्बे वर्षो से जारी पटटा खारीज किया जाना कतई विधिक के मुलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध है एवं इतने लम्बे समय की मियाद के बिन्दु पर अपील मातहत अदालत द्वारा खारीज कर देनी चाहिए थी एवं खरीद शुद्धा पटटा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा बैयनामा खारीज होने उपरान्त ही पटटा खारीज किया जा सकता है इसलिए मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2018 बअदालत मातहत अपास्त फरमाया जावे तथा पटटा दिनांक 07.09.1986 को बहाल रखा जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की ग्राम पंचायत मन्दरपुरा द्वारा पटटा दिनांक 07.09.1986 को जारी भादर पुत्र जमालदीन अप्रार्थी संख्या 4 को जारी हुआ इससे हमने दिनांक 22.05.2017 को जरिये रजिस्टर बैयनामा कय किया। हमारे चिपता इनका पटटा/ भूखण्ड है 440 वर्ग गज इसे रामनिवास ने कय किया है। पंचायत समिति में अपील दिनांक 26.05.2017 को मेरे पटटा कय करने के बाद की गई है। 34 वर्ष बाद पंजीकृत पटटा खारिज करवा दिया। विक्रय विलेख में नक्शा है उसमें मकान बनाया हुआ है। बैयनामा आज भी कायम है यदि पटटा खारिज करवाना था तो पहले बैयनामा खारिज करवातें। निगरानी स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के दादा के पक्ष में 04.11.1960 को पटटा जारी किया गया था जो 6138.5 वर्ग फुट का था इसमें हमारा मकान बना हुआ था। रामबक्श जिसका भूखण्ड उत्तर में स्थित है मैने खरीद लिया दोनों मकानों में निवास है। हमारे पूर्वी हिस्से में यह निर्माण करने लगे तो हमने मना किया तो इन्होंने कहा यह पटटा हमने खरीद लिया है। पंचायत में इनके पटटो का कोई रिकार्ड ही नहीं मिला बिना प्रक्रिया अपनायें पटटा जारी किया गया है। पटटे पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है, सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। सार्वजनिक जगह का पटटा दे दिया जो गवाड़ की जमीन थी हमारी तो केवल 9 गुणा 44 फीट ही जमीन थी। पूर्व में भादर के पटटे वाले स्थान पर इसके भाई शेर मोहम्मद का पहले पटटा जारी हुआ था वह भी खारिज हो चुका है इसके 7 दिन बाद ही पुनः इसके भाई के नाम पटटा जारी कर दिया जबकि पंचायत समिति द्वारा उस जगह को सार्वजनिक मानकर कर दिया गया था 9 गुणा 44 हमारे पटटे पर पटटा जारी है। पूर्व दृष्टांत DNJ 2015 पेज न0 595, DNJ 1979 पेज न0 97,RLW 2010 Vol.IV पेज न0 3575 CCC 2010 Vol.III पेज न0 374, RBJ 2008 पेज न0 761 एवं DNJ 2015 Vol.II पेज न0 1596 पेश किये ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुनः अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की शेर मोहम्मद का पटटा खारिज किया है, वह अन्य जगह का है साईज भी कम है 8 गुणा 11 का है यह पटटा अलग है। बिना किसी आधार पर हमारे पटटे को उसी जगह का बता रहें है। दिनांक 09.05.2018 को पंचायत समिति की आर्डर शीट में हमें अनुपस्थित बताकर व भादर की हाजरी बताकर हमारा पटटा खारीज कर दिया। भादर तो हमें प्लॉट बेच चुका था अतः हमें सुनवाई का अधिकार ही नहीं मिला। अपील में कहीं सार्वजनिक जगह का उल्लेख नहीं है फिर कैसे खारिज कर सकते है। केवल शेरमोहम्मद के निर्णय का सहारा लेकर हमारा पट्टा खारिज किया है जो गलत है। निगरानी स्वीकार करें । पूर्व दृष्टांत आर. बी.जे.2019 के पेज सं0184 से 190 आर.बी.जे. 2019 पेज सं0 20 से 24 व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम धारा 156 पेश किये ।

हमने बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली मे उपलब्ध पंचायत समिति नोहर की प्रशासन स्थाई समिति का निर्णय दिनांक 30.08.1986 की फोटो कापी के अवलोकन से स्पष्ट है कि शेरमोहम्मद पुत्र जमालदीन को जारी पट्टा गुवाड का होने तथा इस आंवटन का किसी को भी पता नहीं होना उल्लेखित करते हुये खारिज किया गया था इसके साथ शामिल भूखण्ड का नक्शा एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2018 की पत्रावली में शामिल पट्टा दिनांक 07.09.1986की फोटो कापी के साथ इस भूखण्ड का नक्शा पूर्णतया भिन्न है न तो इनके पडोस मेल खाते है न ही क्षेत्रफल मेल खाता है पूर्व में जारी पट्टा 11गुणा 11 वर्गगज का था जबकि यह पट्टा 46 गुणा 44 वर्गगज का है इससे साबित होता है कि विवादित पट्टा उसी स्थान का नहीं बनाया गया है जिसे पंचायत समिति नोहर की प्रशासन स्थाई समिति द्वारा दिनांक 30.08.1986 को खारिज कर दिया गया था अतः पंचायत समिति नोहर की प्रशासन स्थाई समिति द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.05.2018 में अपीलाधीन पट्टा सार्वजनिक चौक एवं पूर्व से शेरमोहम्मद के पक्ष में जारी खारिज शुदा पट्टा की जगह मान कर त्रुटि की है जिससे गलत आधार पर बिना ठोस साक्ष्य के 32 वर्ष पुराना दिनांक 07.09. 1986 को जारी पट्टा खारिज करना विधि सम्मत नहीं है इसके साथ ही अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली में दिनांक 09.05.2018 की आदेशिका में प्रत्यर्थी सं01 भादर को उपस्थित तथा प्रत्यर्थी सं0 3 को अनुपस्थित दर्शा कर आदेश जारी किये गये है जिससे निगरानीकर्ता को प्रर्याप्त साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं मिलना भी साबित है जबकि भादर द्वारा जरिये पंजिकृत बैयनामा उक्त भूखण्ड निगरानीकर्ता को विक्रय किया जा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चुका था इससे ज्यादा हितबद्ध पक्षकार भादर ना हो कर के निगरानीकर्ता था । जिसे सुना भी नहीं गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अपीलाधीन निर्णय मे मियाद के बिन्दु को भी तय नहीं किया गया है केवल यह उल्लेख किया है कि अपील 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र के साथ पट्टा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद कथन करते हुये अपीलार्थी ने पेश की है जबकी 32 वर्ष पुराने पट्टे को खारिज करते समय मियाद के बिन्दू पर स्पष्ट निर्णय करते हुये मियाद में मानने का आधार उल्लेखित करना चाहिये था जो नहीं किया गया है जबकि पत्रावली में शामिल पंजिकृत बैयनामें की फोटो कापी में दर्शायी गई भूखण्ड की फोटो मे निर्मित मकान बना दिख रहा है ऐसी स्थिति मे गैर निगरानीकार को पट्टे या इस भूखण्ड के स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं हो सही प्रतीत नहीं होता है अतः उपरोक्त आधारो पर पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया शामिल पत्रावली रहे ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला ... नोहर

28/2/2020

(नारायण सिंह चारण)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

नोहर